UPJS010026302026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, झाँसी।

पीठासीन- कमलेश कच्छल, (उच्चतर न्यायिक सेवा) JO Code No- UP1881

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र सं०- 876/ 2026 (CNR No. UPJS01- 002630- 2026)

दौलत कुशवाहा पुत्र नत्थू सिंह कुशवाहा, निवासी- सत्यम कालोनी, थाना- कोतवाली, जिला- झाँसी, उ०प्र०।

- - - - - - आवेदक/ अभियुक्त

बनाम

उ०प्र० राज्य **- - - - - - - - अभियोजक**

मु०अ०सं०- 95/ 2026
धारा- 115(2) , 117(2) , 109(1) , 190, 191(2) ,
191(3) , 351(3) भारतीय न्याय संहिता
थाना- कोतवाली, जिला- झाँसी।

दिनाँक- 18. 06. 2026

1- प्रश्नगत **प्रथम** जमानत आवेदन पत्र, आवेदक/ अभियुक्त **दौलत कुशवाहा** की ओर से मु०अ०सं०- 95/ 2026 अन्तर्गत धारा- 115(2) , 117(2) , 109(1) , 190, 191(2) , 191(3) , 351(3) भारतीय न्याय संहिता, थाना- कोतवाली, जिला- झाँसी में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है, जिसमें वह कारागार में निरूद्ध है।

2- जमानत आवेदन के साथ शपथकर्ती श्रीमती मालती कुशवाहा पत्नी नत्थू पहलवान का शपथ पत्र 4 बी दाखिल किया गया है, जिसके अनुसार वह अभियुक्त की माँ व पैरोकार है। अभियुक्त का यह प्रथम जमानत आवेदन है, इसके पूर्व कोई जमानत आवेदन किसी न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही निरस्त अथवा लम्बित है।

3- संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा धर्मवीर सिंह द्वारा दिनांक- 28. 03. 2026 को थाना- कोतवाली, जिला झाँसी में इस आशय की तहरीर प्रस्तुत की गई कि- *"प्रार्थी धर्मवीर सिंह पुत्र महाप्रसाद, पीताम्बरा कालोनी, पलक पैलेस विवाह घर के रास्ते में स्थित ठाकुर बाबा मन्दिर के पास, झाँसी का निवासी है। उसके साथ दबंग दौलत कुशवाहा आदि द्वारा की गई गम्भीर घटना के संबंध में उसने दि०- 26. 03. 2026 को थाना कोतवाली पर तहरीर दी थी, जिससे दबंगो में बौखलाहट हो गई। दि०- 27. 03. 2026 को समय करीब 10. 45 बजे सुबह प्रार्थी अपने भाई रणवीर सिंह, मामा बानसिंह व उनके पुत्र अमित सिंह व रिश्तेदार अभिषेक के साथ घर पर था, तभी उक्त दबंग दौलत कुशवाहा, गजराज कुशवाहा, महेन्द्र कुशवाहा, राजू कुशवाहा, सुनील कुशवाहा, भांजा- आनन्द कुशवाहा, गोलू कुशवाहा, कल्लू कुशवाहा एवं दो अज्ञात व्यक्ति सुनियोजित तरीके से बेत, सरिया व लोहे का पाइप लेकर आये। दौलत कुशवाहा ने कहा कि तू कल थाने में रिपोर्ट लिखाने गया था, तेरी इतनी हिम्मत, अब तू रहेगा ही नहीं। बानसिंह, रणवीर सिंह आदि ने जैसे उसे बचाया, तो उक्त सभी दबंगों ने एक राय होकर जान से मारने की नीयत से ताबडतोड हमला कर दिया। डायल- 112 पर पुलिस को सूचना देने पर पुलिस के आने से पहले ही उक्त लोग मोटोरोला मोबाईल, सोने की चैन व अडतालिस हजार रूपये छीन कर गाली- गलौज करते व जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये। मारपीट से वह लोग लहूलुहान होकर गिर गये और मारपीट से आई गम्भीर चोटों के कारण प्रार्थी, रणवीर, बानसिंह व अमित मेडिकल कालेज में भर्ती होकर इलाजरत हैं। प्रार्थी के साथ दो दिन में लगातार दूसरी घटना हुई है। प्रार्थी व रिश्तेदार काफी भयभीत है, उक्त लोग किसी भी की हत्या कर सकते हैं। प्रार्थी की मनोस्थिति कुछ ठीक हुई, परन्तु अभी भी काफी डरा है। प्रार्थी बोल कर दिलीप राजपूत से प्रार्थना पत्र तैयार करा कर दे रहा है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने की कृपा करें।"* उक्त तहरीर के आधार पर दिनांक- 28. 03. 2025 को थाना- कोतवाली, झाँसी में प्रश्नगत मामला धारा- 190, 191(2) , 191(3) , 309(6) , 109(1) , 351(3) भारतीय न्याय संहिता के अन्तर्गत आवेदक/ अभियुक्त दौलत कुशवाहा सहित सात अन्य एवं दो व्यक्ति नाम- पता अज्ञात के विरूद्ध पंजीकृत होकर विवेचनाधीन है।

4- आवेदक/ अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक/ अभियुक्त निर्दोष है, उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है, बल्कि उसे प्लाट/ भूमि पर कब्जा करने व स्वामित्व विवाद के कारण झूठा नामित किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट 30 घण्टे बिलम्ब से दर्ज कराई गई है और विलम्ब का कोई कारण नहीं दिया गया है। कथित घटना

Digitally signed by Kamlesh Kuchhal
Date: 2026.06.18 13:25:39 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

स्थल के आस-पास आबादी है, किन्तु कथित घटना का कोई स्वतन्त्र साक्षी नहीं है। वादी व उसके सहयोगियों के साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, मात्र साधारण चोटों का केस बढा-चढा कर पुलिस से मिलकर फर्जी कारगुजारी कर दर्ज कराई गई है। वादी द्वारा अभियुक्त की भूमि पर कूटरचित दस्तावेजों से अवैध कब्जा करने का प्रयास करने पर उक्त की शिकायत अभियुक्त ने दि०-26.03.2026 को कोतवाली पुलिस तथा मुख्यमन्त्री पोर्टल पर की थी, किन्तु पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की और दि०-27.03.2026 को वादी पुनः अपने गुण्डे साथियों के साथ मिलकर कब्जा करने का प्रयास किया, मना करने व डायल 112 से पुलिस बुलाने पर वादी व उसके साथी अपने-अपने वाहनों से भाग गये और उन्हें कहीं अन्य स्थान पर दुर्घटना में आई चोटों को फर्जी कारगुजारी कर प्रश्नगत मामले को बढा-चढा कर दिखाने के आशय से फर्जी रिपोर्ट दर्ज करा दी है। कथित मामले में चार लोगों को चुटैल होना बताया गया है, जिन्हें साधारण प्रकृति की चोटें आई है। मामले में घटना समय 10.45 बजे की होने के बावजूद चुटैल बानसिंह का चिकित्सीय परीक्षण समय 3.55 बजे मेडिकल कालेज झाँसी में हुआ है और घटना का समय 11.30 बजे की दर्शाया गया है। चुटैल बान सिंह को चार चोटें आना बताया गया है, जिसमें एक चोट सिर में व शेष चोटें खरोंच व नीलगू निशान की है। सिर के एक्स-रे में कोई फ्रैक्चर नहीं पाया गया है, किन्तु NCCT Head प्राईवेट रूप से कराते हुए रेखीययुक्त फ्रैक्चर बनवाया गया है। मामले में किसी धारदार हथियार, तमंचा आदि से मारने का कोई कथन नहीं है। वादी ने मामले को बल देने के लिए सोने की जंजीर व रूपये लूटने का आरोप लगाया था, किन्तु दौरान विवेचना झूठा पाये जाने पर लूट की धारा-309(6) BNS का लोप किया गया है। अभियुक्त के विरूद्ध थाना कोतवाली में चार मामले पंजीकृत हुए थे, जिनमें वह न्यायालय से दोषमुक्त किया जा चुका है। अभियुक्त ने कोई घटना कारित नहीं की है, उसे साजिश व षडयन्त्र के तहत झूठा नामित किया गया है। अभियुक्त जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा और विवेचना/विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा। अभियुक्त दि०-10.04.2026 से कारागार में निरूद्ध है। उक्त आधार पर उसे जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गई।

5- राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा जमानत का विरोध करते हुये यह तर्क दिया गया कि अभियुक्त मामले का मुख्य अभियुक्त है, उसके द्वारा अन्य साथियों के साथ मिलकर बेत, सरिया व लोहे के पाइप जैसे घातक हथियारों से लैस होकर विधि विरूद्ध एकत्र होकर वादी मुकदमा व उसके साथियों को जान से मारने की नीयत से मारपीट कर स्वैच्छया साधारण व गम्भीर फ्रैक्चरयुक्त चोटें पहुंचाते हुए जान से मारने की धमकी देने का कृत्य किया गया है। जमानत प्रदान किये जाने पर पुनः विवाद होने की सम्भावना है। उक्त आधार पर जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने की याचना की गई।

6- आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध केस डायरी सहित संबंधित प्रपत्रों का अवलोकन किया।

7- पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी मुकदमा द्वारा प्रस्तुत तहरीर के आधार पर प्रश्नगत मामला आवेदक/अभियुक्त सहित सात अन्य एवं दो व्यक्ति नाम-पता अज्ञात के विरूद्ध धारा-190, 191(2), 191(3), 309(6), 109(1), 351(3) भारतीय न्याय संहिता के अन्तर्गत पंजीकृत हुआ है, जिसमें आवेदक/अभियुक्त पर पूर्व की जमीनी रंजिश के कारण कथित घटना दिनांक को अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर सामान्य आपराधिक उद्देश्य के अग्रसरण में बेत, सरिया व लोहे के पाइप जैसे घातक हथियारों से लैस होकर विधि विरूद्ध एकत्र होकर वादी मुकदमा व उसके पक्ष के लोगों को जान से मारने की नीयत से मारपीट कर स्वैच्छया साधारण व गम्भीर फ्रैक्चरयुक्त चोटें पहुंचाते हुए जान से मारने की धमकी देने देने का आरोप है। मामले में दौरान विवेचना धारा-309(6) BNS का लोप कर धारा-115(2), 117(2) BNS की बढोत्तरी की गई है।

8- चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्टों के अनुसार प्रश्नगत घटना में वादी पक्ष के पाँच व्यक्ति चुटैल हुए हैं, जिसमें चुटैल/वादी मुकदमा **धर्मवीर** को कुल 5 चोंटे आना बताया गया है, जिसमें क्रम सं०-2 पर अंकित चोट-दाहिनी भुजा एवं दाहिने पैर के अंगूठे में दर्दयुक्त सूजन, क्रम सं०-3 पर अंकित चोट-दाहिनी हथेली की मेटाकार्पल हड्डी में दर्दयुक्त सूजन एवं क्रम सं०-4 पर अंकित चोट-बांये हाथ के अंगूठे में दर्दयुक्त सूजन व शेष दो चोटें पीठ में विभिन्न खरोंच पाई गई है। चिकित्सक द्वारा चोट सं०-2,3 व 4 के संबंध में एक्स-रे की सलाह देते हुए अर्थो यूनिट को अग्रिम उपचार हेतु सन्दर्भित किया गया है। एक्स-रे के आधार पर तैयार पूरक रिपोर्ट के अनुसार चुटैल दांये पैर की टिबिया हड्डी में ऊपरी व निचले हिस्से में तथा दाहिने हाथ के अल्ना हड्डी में फ्रैक्चरयुक्त चोट पाई गई है। चिकित्सक के अनुसार उक्त चोटें गम्भीर प्रकृति की हैं।

9- चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट में चुटैल **बानसिंह** को कुल-4 चोटें आना बताया गया है, जिसमें क्रम सं०-2 पर

अंकित चोट- सिर के टैम्पोरो ऑक्सीपिटल क्षेत्र में जमे हुए रक्त के साथ 4x1cm. का फटा हुआ घाव, क्रम सं०- 3 पर अंकित चोट- सिर के टैम्पोरो ऑक्सीपिटल क्षेत्र में 4cm. की चोट तथा शेष चोटें दाहिने कान से सक्रिय रक्तस्त्राव व पीठ पर विभिन्न खरोंच व नीलगू निशान पाये गये हैं। चोट सं०- 2, 3, 4 व 5 को निगरानी में रखते हुए उसके एक्स- रे की सलाह देते हुए न्यूरो यूनिट को अग्रिम उपचार हेतु सन्दर्भित किया गया है। NCCT Head रिपोर्ट के अनुसार चुटैल के दाहिने पैराईटो टैम्पोरल हड्डी में रेखीय फ्रैक्चरयुक्त चोट पाई गई है।

10- चुटैल **अमित सिंह राजपूत** को कुल- 5 चोटें पाई गर् है, जिसमें क्रम सं०- 2 पर अंकित चोट- दाहिने पैर में खरोंचयुक्त नीलगू निशान, क्रम सं०- 3 पर अंकित चोट- दाहिने कन्धे, दोनों हाथ की कलाई, पीठ, दाहिने पैर में दर्दयुक्त खरोंच, क्रम सं०- 4 पर अंकित चोट- बांये हाथ की कलाई में दर्दयुक्त सूजन व घुमाने में परेशानी, क्रम सं०- 5 पर अंकित चोट- ऊपरी होंठ के मध्य भाग के भीतरी हिस्से में गहरा नीलगू निशान एवं क्रम सं०- 6 पर अंकित चोट- सिर के बांये टैम्पोरो पैराईटल क्षेत्र में दर्दयुक्त सूजन, जो बांये कान के पास थी, पाई गई है। चोट सं०- 4 को निगरानी में रखते हुए एक्स- रे की सलाह दी गई। एक्स- रे रिपोर्ट के आधार पर तैयार पूरक रिपोर्ट के अनुसार चुटैल के बांये रेडियस हड्डी में फ्रैक्चर पाया गया है। चिकित्सक के अनुसार उक्त चोट गम्भीर प्रकृति की है।

11- चुटैल **रनवीर सिंह** को कुल- 4 चोटें आना बताया गया है, जिसमें क्रम सं०- 2 पर अंकित चोट- सिर के बांये मध्य पैराईटल क्षेत्र में सक्रिय रक्तस्त्राव के साथ 8x0. 5cm. का फटा हुआ घाव, क्रम सं०- 3 पर अंकित चोट- सिर के बांये मध्य पैराईटल क्षेत्र में 8cm. का घाव तथा शेष चोटें पेट में दर्द व दाहिनी कोहनी के जोड आदि में खरोंचयुक्त नीलगू निशान। चोट सं०- 2 व 3 को निगरानी में रखते हुए एक्स- रे की सलाह देते हुए न्यूरो यूनिट को अग्रिम उपचार हेतु सन्दर्भित किया गया है।

12- चुटैल **अभिषेक राजपूत** को कुल- 3 चोटें आना बताया गया है, जिसमें क्रम सं०- 2 पर अंकित चोट- बांये कलाई पर दर्दयुक्त खरोंच व नीलगू निशान, क्रम सं०- 3 पर अंकित चोट- बांये पैर में दर्दयुक्त खरोंच की चोट एवं क्रम सं०- 4 पर अंकित चोट- सिर के बांये ऑक्सीपिटल क्षेत्र में बांये कान के पीछे दर्दयुक्त सूजन। चोट सं०- 4 को निगरानी में रखते हुए एक्स- रे की सलाह देते हुए सर्जरी यूनिट को अग्रिम उपचार हेतु सन्दर्भित किया गया है।

13- प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक/ अभियुक्त मामले में नामित व मुख्य अभियुक्त है। उपलब्ध BHT प्रपत्र के अनुसार चुटैल बानसिंह मेडिकल कालेज झाँसी में दिनांक- 27. 03. 2026 को भर्ती हो कर दिनांक- 13. 04. 2026 तक इलाजरत रहा है। चिकित्सीय रिपोर्टों के अनुसार मामले के चुटैल- धर्मवीर, बानसिंह व अमित सिंह राजपूत को फ्रैक्चरयुक्त चोटें आई हैं, जो चिकित्सक की राय में गम्भीर प्रकृति की हैं। अभियोजन के अनुसार चुटैलों को उक्त चोटें बेत, सरिया व लोहे के पाइप जैसे घातक हथियारों से मारपीट कर पहुंचाई गई है। आवेदक/ अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। मामले में प्रश्नगत घटना, पूर्व में वादी पक्ष द्वारा अभियुक्त पक्ष की थाने पर की गई शिकायत के अनुक्रम में कारित की गई है, ऐसी स्थिति में आवेदक/ अभियुक्त को जमानत प्रदान किये जाने पर भविष्य में पुनः अपराध कारित करने की सम्भावना है। जैसा कि थाने से प्राप्त आख्या में भी उल्लिखित है। प्रकरण में विवेचना प्रचलित है तथा सहअभियुक्त अभिषेक उर्फ कल्लू की जमानत पूर्व में दि०- 06. 05. 2026 को निरस्त की जा चुकी है।

14- अतः मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं कारित अपराध की प्रकृति व गम्भीरता को देखते हुए, आवेदक/ अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने का पर्याप्त आधार नहीं है। तदनुसार आवेदक/ अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/ अभियुक्त **दौलत कुशवाहा** की ओर से मु०अ०सं०- 95/ 2026 अन्तर्गत धारा- 115(2), 117(2), 109(1), 190, 191(2), 191(3), 351(3) भारतीय न्याय संहिता, थाना- कोतवाली, जिला- झाँसी में प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या- 876/ 2026 **निरस्त** किया जाता है।

आदेश की प्रति अभियुक्त को अविलम्ब निःशुल्क प्रदान की जाये।

दिनाँक- 18. 06. 2026

(कमलेश कच्छल)
सत्र न्यायाधीश,
झाँसी।